महत्वपूर्ण / ई–मेल
संख्या–2763 / आठ–3–2022

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष / नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक ०। ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2022**

विषयः उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नये रिंग रोड / बाई पास के विकास एवं परिवहन की दृष्टि से आवश्यक नगरीय मूलभूत संरचनाओं (ट्रांसपोर्ट नगर / ट्रक टर्मिनल, बस डिपो) के विकास एवं विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं परिवहन की दृष्टि से आवश्यक मूलभूत संरचनाओं (बस स्टेशन आदि) के विकास एवं विचार–विमर्श के संबंध में दिनांक 27.10.2022 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग द्वारा बैठक का आयोजन कराया गया। प्रदेश में प्रस्तावित नये रिंग रोड / बाई पास का संरेखण विभिन्न नगरों से सम्प्रकृत होने के दृष्टिगत इन प्रस्तावित सुविधाओं से जनसामान्य को समुचित रूप से लाभान्वित कराये जाने एवं उपयुक्त नियोजन की दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त उक्त बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन से संबंधित निम्नांकित बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गयेः–

(1) विकास प्राधिकरणों / विनियमित क्षेत्रों द्वारा एन.एच.ए.आई तथा लोक निर्माण विभाग से सम्पर्क स्थापित कर रिंग रोड / बाईपास के संरेखण का विवरण प्राप्त कर लिया जाए। यदि उक्त संरेखण विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है तो उनके संरेखण को प्रस्तावित महायोजना में चिन्हांकित करते हुए संरेखण के दोनों ओर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं यथा–ट्रान्सपोर्ट नगर, ट्रक टर्मिनल, बस डिपो आदि प्रस्तावित किये जाएं, जिससे कि नगर के आन्तरिक मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन रोका जा सके तथा ट्रैफिक को 'डी–कन्जेस्ट' किया जा सके।

(2) प्रस्तावित रिंग रोड / बाईपास का संरेखण अधिसूचित क्षेत्र की सीमा के बाहर होने की दशा में उक्त मार्गों के क्षेत्र को सम्बन्धित विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल करने हेतु सीमा विस्तार का सुविचारित प्रस्ताव तैयार कराकर तत्काल शासन के अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया जाय।

(3) रिंग रोड / बाईपास के संरेखण के दोनों तरफ पड़ने वाली भूमि के समुचित नियोजन एवं वैल्यू कैप्चर फाईनेन्स के उद्देश्य से महायोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति–2022 के अनुक्रम में यथोचित प्रस्ताव तैयार किया जाय।

(4) महायोजना में ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक टर्मिनल एवं मेडी सिटी आदि से सम्बन्धित सेल्फ सस्टेनेबल प्रस्ताव दिए जाए। आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवाओं के साथ–साथ आवासीय, वाणिज्यिक आदि क्रियाओं हेतु भी प्रस्ताव दिये जाएं जिससे कि उक्त प्रोजेक्ट्स अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हो सकें।

(5) नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित गोदाम/वेयर हाउस को शहरी क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किये जाने की यथासम्भव चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार की जाए।

(6) नगर में पार्क खुले क्षेत्रों/हरित क्षेत्रों, शैक्षिक/संस्थागत सुविधाओं आदि की कमी को दूर करने की कार्ययोजना तैयार की जाए।

(7) ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक टर्मिनल, बाईपास, रिंग रोड एवं लॉजिस्टिक्स प्लान तथा सिटी डेवलपमेन्ट प्लान के प्रस्तावों को महायोजना के साथ इन्टीग्रेट किया जाए।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करते हुए कृत कार्यवाही से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को तत्काल अवगत कराते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या–2763(1)/आठ–3–2022–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1/8उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।